न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सीगा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र
प्रकरण सं. 164/2025 (GCMS 2025/247)

सुखविन्द्र कौर पत्नी श्री महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 11 जीबी तहसील श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर

बनाम

सरकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.07.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री राजसिंह मान एवं राजकीय अधिवक्ता श्री गुरजीत सिंह वानर उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री राजसिंह मान ने अपनी बहस में कथन किया है कि राज्य सरकार के रि–ओपन आदेश दिनांक 02.01.1979 के अनुसार सिलिंग प्रकरण अनवानी सरकार बनाम अमरीक सिंह अति. जिलाधीश, प्रशासन, श्रीगंगानगर को विचारण हेतु भिजवाया गया था।

उनका आगे यह भी कथन है कि श्रीमान् अति. जिला कलक्टर, प्रशासन, श्रीगंगानगर ने दिनांक 13.11.1994 को 28.16 बीघा भूमि अधिग्रहण के आदेश दिये गये थे। तहसीलदार विजयनगर द्वारा अमरीक सिंह को भार मुक्त कृषि भूमि का कब्जा ना लेकर, क्रेतागण की भूमि अवाप्त करने का नोटिस दिया ।

उनका आगे यह भी कथन है कि अति. कलक्टर के आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में हुए अपील के निर्णयानुसार भार मुक्त जमीन का कब्जा लिया जाना था। [illegible] के अनुसार अति. जिला कलक्टर, प्रशासन श्रीगंगानगर को [illegible] था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:22:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि जिलों के पुर्नगठन/निरस्तीकरण के बीच प्रकरण अति. जिला कलक्टर प्रशासन, श्रीगंगानगर से अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़, अति. कलक्टर अनूपगढ़ के बीच हस्तान्तरित होकर वर्तमाना अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के यहा चला रहा है।

उनका आगे यह भी कथन है कि समस्त रिकॉर्ड एवं कार्यवाही अधिकांश अति. जिला कलक्टर, प्रशासन श्रीगंगानगर के यहां हुई है। इसलिए प्रार्थीया के प्रकरण को आगामी सुनवाई हेतु अति. जिला कलक्टर प्रशासन, श्रीगंगानगर के न्यायालय में स्थानान्तरित करने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज्य सरकार ने सीलिंग रि–ओपन के प्रकरण तत्समय अति. जिला कलक्टर, प्रशासन, श्रीगंगानगर को स्थानान्तरित किये गये थे तथा अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ को उनके न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को अन्य किसी न्यायालय में स्थानान्तरित करने पर कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया और अप्रार्थी के उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी के अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के न्यायलाय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 51/2025 सीगा सीलिंग अनवान् सुखविन्द्र कौर बनाम सरकार को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की है और राजकीय अधिवक्ता को अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन उक्त प्रकरण संख्या 51/2025 को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के न्यायलाय

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:22:08 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

में उक्त विचाराधीन प्रकरण संख्या 51 / 2025 अनवानी सुखविन्द्र कौर बनाम सरकार को न्यायहित में अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना उचित होगा। अतः अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण संख्या 51 / 2025 को अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर को मुन्तकिल किया जाता है और उन्हें आदेशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने की कार्यवाही करें। अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ को भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण की मूल पत्रावली तुरन्त प्रभाव से अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। उभयपक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 29.08.2025 को अधीनस्थ अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के न्यायालय में उपस्थित हो।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी सुखविन्द्र कौर द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों में पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:22:08 IST
Reason: SelfAttested